



टी बोर्ड भारत

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के अधीन)

14, बी. टी. एम. सारणी (ब्रेबॉर्न रोड), कोलकाता 700001, पश्चिम बंगाल

पी.ओ. बॉक्स नं.: 2172 :: एसटीडी कोड : 033 :: फोन नं.: 2235-1331

वेबसाइट :: www.teaboard.gov.in

फ. सं. 3(1)/सचि./2025-252वीं ब.ब.

दिनांक: 6 अगस्त, 2025

सेवा में,

बोर्ड के सभी सदस्य

विषय: बोर्ड की 252वीं बैठक 13 अगस्त, 2025 को सुबह 9:00 बजे से कुन्नूर में भौतिक और आभासी मोड में आयोजित की जाएगी -बाबत।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड की 252वीं बैठक 13 अगस्त, 2025 को सुबह 9:00 बजे से कुन्नूर में भौतिक और वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि कृपया 13 अगस्त, 2025 को उपरोक्त बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि अपनी यात्रा योजनाओं (आगमन और प्रस्थान उड़ान संख्या, दिनांक और समय)के संबद्ध में नीचे हस्ताक्षरित को ई-मेल पर सूचित करें: secytboard@gmail.com, teaboardsectt2021@gmail.com।

केवल बोर्ड के सदस्यों को ही निवास स्थान से कुन्नूर तक आने-जाने के लिए सबसे छोटे मार्ग में स्वीकार्य श्रेणी के हवाई टिकट तथा आवास (दो दिन से अधिक नहीं) और परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा।

जो सदस्य स्वयं हवाई टिकट खरीदना चाहते हैं, उनकी प्रतिपूर्ति सरकारी नियमों के अनुसार, सबसे छोटे मार्ग के अनुसार की जाएगी।

प्रासंगिक टीए/डीए फॉर्म संलग्न है, जिसका विवरण (दो प्रतियों में) बोर्ड बैठक में उपस्थित होने पर उपलब्ध कराया जाए ताकि पीएफएमएस/आरटीजीएस के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जा सके-

1. बोर्ड सदस्य का नाम (बैंक खाते के अनुसार).....
2. शाखा सहित बैंक का नाम.....
3. बैंक खाता नम्बर.....
4. आईएफएससी कोड नं.

कार्यसूची मर्दाने शीघ्र ही प्रसारित किए जाएंगे।

भव दी य
 धनंजय मंडल
 (धनंजय मंडल)
 सचिव (प्रभारी)

चाय पियो मस्त जियो !



प्रतिलिपि अग्रेषित:

1.	बोर्ड के सभी सदस्यों	कृपया सूचनार्थ।
2.	सचिव. भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011	कृपया सूचनार्थ।
3.	भारत सरकार के विशेष सचिव एवं टी बोर्ड के अध्यक्ष, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011	कृपया सूचनार्थ।
4.	निदेशक (रोपण) भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011	कृपया सूचनार्थ।
5.	कार्यकारी निदेशक, टी बोर्ड, कुन्नूर, तमिलनाडु	कृपया दक्षिण भारत स्थित सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध सहित सूचना।
6.	कार्यकारी निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी, असम	कृपया उत्तर भारत स्थित सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध सहित सूचना।
7.	उप. निदेशक चाय विकास, टी बोर्ड, सिलीगुड़ी	कृपया उत्तर बंगाल स्थित सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध सहित सूचना।
8.	वि.अ. (उ.प.भा), टी बोर्ड, नई दिल्ली	माननीय सांसदों (बोर्ड सदस्यों) को अनुरोध सहित सूचना।
9.	बोर्ड के मुख्यालय/क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारी	कृपया सूचनार्थ।
10.	आई टी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
11.	संपदा अधिकारी.	कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
12.	उपाध्यक्ष के नि.स.	उपाध्यक्ष को सूचनार्थ।
13.	सचिव/वि.सं. एवं मु.ले.अ. के नि. स.	कृपया सूचनार्थ।
14.	सचिवालय शाखा की गार्ड फाइल	रिकार्ड हेतु।



टी बोर्ड

यात्रा भत्ता बिल

सदस्यों द्वारा भरा जाने वाला विवरण।

1. बैठक उपस्थिति का विवरण - बोर्ड द्वारा किए गए अन्य कार्य:

(क) क्या बोर्ड या समिति की

बैठक और यदि समिति की तो उसका नाम।

(ख) बैठक का स्थान

(ग) बैठक की तिथि

2. (i) निवास का सामान्य स्थान

(ii) निवास से हवाई अड्डे की दूरी

3 वास्तविक निवास स्थान जब यात्रा शुरू हुई:

4. (i) निवास के हवाई अड्डे से प्रस्थान (तिथि) को

(ii) बैठक स्थल के हवाई अड्डे पर आगमन (तिथि) को

(iii) बैठक स्थल के हवाई अड्डे से प्रस्थान (तिथि) को

(iv) निवास के हवाई अड्डे पर आगमन (तिथि) को

5. सड़क मार्ग से सभी यात्राओं का विवरण:-

(अर्थात् निवास से हवाई अड्डे और हवाई अड्डे से बैठक स्थल तक की यात्रा और इसके विपरीत):-

से	तक	दूरी किलोमीटर में	परिवहन का साधन अर्थात् अपनी कार/टैक्सी या अन्य वाहन।
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			
(v)			
(vi)			

6. टी.ए बिल से संबंधित कोई अन्य सूचना

- 1) प्रमाणित किया जाता है कि जिस यात्रा और पड़ाव के लिए दावा किया गया है, उससे संबंधित मेरे द्वारा किसी अन्य स्रोत से कोई यात्रा और दैनिक भत्ता नहीं लिया गया है।
- 2) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने किसी भी एक सीट वाले सार्वजनिक वाहन से ऐसी सड़क यात्राएं नहीं कीं, जिनसे ऊँच दरों पर माइलेज भत्ते का दावा किया गया हो। (स्टीमर को छोड़कर जो निश्चित बिंदुओं के बीच नियमित रूप से किराये पर चलता है और निर्धारित दरों पर शुल्क लेता है।) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा किसी अन्य वाहन में उसके किराया शुल्क का भुगतान किए बिना या उसके इसके संचालन का खर्च वहन किए बिना नहीं की गई थी। .
- 3) प्रमाणित किया जाता है कि मुझे बोर्ड या सरकार द्वारा निःशुल्क भोजन या/और आवास उपलब्ध नहीं कराया गया।
- 4) प्रमाणित किया जाता है कि आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन से असंबद्ध यात्राओं के लिए मेरी यात्रा का पारंपरिक तरीका हवाई मार्ग है।

दिनांक

सदस्य के हस्ताक्षर

पूरा पता

नोट (i) अनावश्यक सामंजस्य से बचने के लिए कृपया अनुपयुक्त भागों को काट दें और कॉलम भरें (यहां तक कि शून्य सूचना भी आवश्यक है)।

(ii) यदि बोर्ड या/और आवास की व्यवस्था बोर्ड या सरकार के खर्च पर की जाती है, तो कृपया इसे ऊपर मद 6 के सामने दर्शाया जाए।